

व्यावसायिक प्रशिक्षण में विदेशी सहयोग

24.1 श्रम मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने राष्ट्रीय विकास के लिए रोजगार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में द्विपक्षीय सहयोग के महत्त्व को समझा। परस्पर सहयोग से सुदृढ़ तथा व्यापक बनाने के लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने ईरान गणराज्य, तथा मोजाम्बीक गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) पर हस्ताक्षर किए।

भारत एवं ईरान के बीच समझौता ज्ञापन

24.2 केन्द्रीय श्रम मंत्री तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने इस्लामी गणराज्य ईरान के श्रम मंत्री के निमंत्रण पर ईरान का दौरा किया। दौरे के दौरान भारत गणराज्य के श्रम मंत्रालय तथा इस्लामी गणराज्य ईरान के श्रम एवं सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के महत्त्व को समझते हुए 25 जनवरी, 2003 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2 के अनुसार, निम्न प्रकार से सहयोग किया जाएगा :

1. अध्ययन दौरों, सूचना, अनुभव तथा दस्तावेजों सहित आपसी दौरे।
2. विशेषज्ञों द्वारा परामर्श कार्य-कलाप।
3. दोनों देशों में होने वाले सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को भेजा जाना।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से आयोजित करना।

24.3 इस्लामी गणराज्य ईरान के श्रम एवं सामाजिक मामलों के मंत्री महामहिम श्री सैय्यद सफ़दर हुसैनी ने 28 अगस्त से 31 अगस्त, 2003 तक भारत का दौरा किया तथा श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रदान किए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम पर व्यापक विचार विमर्श किया। शिष्टमंडल ने स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले

सरकारी एवं निजी क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया ।

भारत तथा मोजाम्बीक के बीच समझौता ज्ञापन ।

24.4 मोजाम्बीक के श्रम मंत्री महामहिम श्री मारियो लैम्पियो सेवेन की अध्यक्षता में एक पाँच सदस्यीय शिष्ट मंडल ने 21 से 27 अप्रैल 2003 तक भारत का दौर किया । तत्पश्चात, माननीय श्रम मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने अगस्त 2003 में मोजाम्बीक का दौरा किया तथा 23 अगस्त, 2003 को रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शामिल किए क्षेत्र हैं : रोजगार सांख्यिकी, रोजगार एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण ; कार्यस्थल पर एच आई वी / एड्स के विरुद्ध लड़ाई; सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासी श्रम ।

24.5 मोजाम्बीक को व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र में तकनीकी सुविज्ञता प्रदान करने के लिए सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की गई । ये क्षेत्र हैं : समाजिक सुरक्षा प्रणाली को विकसित एवं आधुनिक बनाने हेतु तकनीकी सहायता ; प्रवासी श्रम हेतु नीतियाँ तैयार करने में सहायता देना, कार्यक्षेत्र पर एच आई वी / एड्स के विरुद्ध लड़ाई तथा इस क्षेत्र में अनुभव में भागीदार होना तथा विश्वसनीय रोजगार तथा बेरोजगार सांख्यिकी तैयार करने के लिए सांख्यिकीय प्रणाली के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग ।